

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 207/जोधपुर/201-202

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री पितर  
शिक्षण संस्थान  
डिगरीकला जिला जोधपुर का  
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान  
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज  
किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज  
दिनांक चौबीस माह नवम्बर सन् दो हजार एक  
को जोधपुर में दिया गया ।



रजिस्ट्रार, संस्थान  
रजिस्ट्रार (संस्था)  
जोधपुर

कायाभय रजिस्ट्रार । संतवार । जोधापुर

क्रमांक का. 1 । र. सं. / पंजीयन क्रमांक: 207

दिनांक: 24/1/21

उपस्थित/तकिए,

श्री प्रियु शिखा ललित  
श्री ललित शिखा

विषय - कायानयन संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्था के रजिस्ट्रीकरण के प्रार्थना में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 207/प्रमाणपत्र... दिनांक 24/1/21 पर के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

यहां आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा 4, 4A की ओर आकषित किया जाता है, जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रति वर्ष आम सभा के 15 दिनों के अन्दर-अन्दर निम्नलिखित सूचना भिजवाना आवश्यक है:-

- 11) संस्था के मामलों का प्रबंध किस को सौंपा गया है, उस परिषद, समिति या अन्य शाखी निष्ठा के धारकों, संचालकों, न्यायियों या सदस्यों के नाम, पते और उनके पेशे की सूचना, सब उनके पद के।
- 12) एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि इस वर्ष जिस वर्ष के दौरान किया वर्ष की सूची है। समस्त परिवर्तनों को दर्शाया जाए हो।
- 13) संस्था के नियमों विनियमों की एक प्रति तारिख तारीखी प्रतिस्वी की शाखी निष्ठा के धारकों, संचालकों, न्यायियों या सदस्यों में से कम से कम तीन के द्वारा प्रमाणित की गई हो।

इसके अलावा संस्था के नियमों व विनियमों में किये गए परिवर्तन की प्रतिस्वी जो उपरोक्त वर्णित रीति से तारीखी प्रमाणित की गई हो। रस्ता परिवर्तन करने की तारिख से 15 दिनों की अवधि में इस कायाभय में पहुँच जानी चाहिए। आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4A की ओर भी आकषित किया जाता है, जिसके अनुसार प्रावधानों की पालना में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने पर ऐसे उपाय लेने दण्डनीय होगा जो प्रायः तो स्पष्ट तथ्य को होंसकेगा तथा समाचार भंग होने की दशा में और ऐसे उपाय लेने दण्डित होगा जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि अपराध के लिए प्रथम अपराध के सिद्ध के पश्चात चूक जारी रहती है तो पचास रुपये के दण्डित नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूचना में या धारा 4A के अधीन रजिस्ट्रार/संतवार/से भेजे गए विवरण पत्र या नियमों और विनियमों, उद्देश्यों में जानबूझकर कोई भ्रम या प्रविष्टि या दोष करता है तो दण्डनीय होगा। अपराध सिद्ध होपाने पर ऐसा व्यक्ति दो हजार रुपये तक की रकम से दण्डित होसकेगा। प्रत्येक परिवर्तन की सूचना इस कायाभय को अवश्य भिजवाये। इस कायाभय में अधिनियम में किये गए प्रमाण पत्र का प्रयोग करते समय संस्था का पंजीयन क्रमांक व वर्ष अवश्य अंकित करें।

रजिस्ट्रार/संतवार/ जोधापुर